(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि इंडोनेशिया और सिंगापुर (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "अनकोटेड कॉपियर पेपर" (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) कि प्रथम अनुसूची के शीर्षक 4802 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 56/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1166 (अ), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/8/2021-डीजीटीआर, दिनांक 19 मई, 2021, जिसे दिनांक 19 मई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया गया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 56/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि. 1166 (अ), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, और 4 के समक्ष विनिर्दिष्ट विषयगत वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 28 फरवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा ।"

[फाइल संख्या सीबीआईसी 190354/143/2021 –टीओ (टीआरयू-।) -सीबीईसी]

ज. स. कंधारी

उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 56/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 को सा.का.नि. 1166 (अ), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।